International Journal of Humanities and Social Science Invention (IJHSSI)
ISSN (Online): 2319 – 7722, ISSN (Print): 2319 – 7714
www.ijhssi.org ||Volume 11 Issue 2 February. 2022 || PP. 53-56

महिला सषक्तीकरण और सतत विकास

डॉ० नेत्रपाल सिंह

डिपार्टमेंट ऑफ़ सोशियोलॉजी

मान्यवर कांशीराम गोवेर्मेंट डिग्री कॉलेज, गभाना (अलीगढ़)

सारांश

प्राचीन काल से उत्तर वैदिक काल तक हर क्षेत्र मे नारी के त्याग, बलिदान, ष्यौर्य व ममत्व का सचित्र वर्णन मिलता है। नारी का त्याग व बलिदान भारतीय संस्कृति की अमूल्य निधि है। समाज में जिस प्रकार पुरुष को महत्वपूर्ण माना जाता है। वैसे ही वर्तमान संदर्भ में नारी का स्थान भी अद्वितीय है। समाज में महिलाओं को उच्च ओहदा एवं उचित स्थान दिलाने के लिये उन्हें संगठित रूप में आज प्रस्तुत किया जाना बहुत आवष्यक है। इसी को ध्यान में रखते हुये सन् 2001 को महिला सषक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया।

महिलायें हमारे समाज का घटक हैं, लेकिन फिर भी उनके अधिकार प्राप्त करने में उन्हें बाधा है। महिलाओं को उनके अधिकार षिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, नौकरियां, कौषल, निर्णय लेने का अधिकार, बेहतर जीवन स्तर और सम्मान। इसके अनुसंधान सवाल कागज है। क्या महिला अधिकारिता अर्थव्यवस्था के विकास के लिये जिम्मेदार है?

महिला सषक्तिकरण और आर्थिक विकास निकटता से सम्बन्धित है। एक तरफ अकेले विकास पुरुषों और महिलाओं के बीच असमानता को चलाने में एक प्रमुख भूमिका निभा सकता है। दूसरी दिषा में महिलाओं को सषक्त बनाने के लिये विकास का लाभ हो सकता है। क्या इसका अर्थ यह है कि इन दो लीवरों में से सिर्फ एक को गति देने के लिये एक सषक्त वृत्त गति में लगायें।

प्रस्तावना :–

जीवन में सभी क्षेत्रों में आज महिलाएं पुरूषों के साथ कंधे से ंकंधा मिलाकर कार्य कर रही है। ओर महिला सषक्तीकरण तथा बहुचर्चित मुद्दा बन चुका है। घर के अंदर या बाहर सभी जगहों पर महिलाएं अपना स्वतंत्र दृष्टिकोण रखती है और वे अपनी षिक्षा, व्यवसाय या जीवन षैली के संबंधित सभी निर्णय स्वयं लेते हुये अपने जीवन पर तेजी अपना नियंत्रण कायम करने में कामयाब हो रही है।

आज हर क्षेत्र में नारी ने अपनी उपस्थिति दर्ज की हैं। जो गौरव की बात है। अब पहले जैसा नहीं रहा, कि वह केवल पुरूषों पर ही निर्भर रहती है। एक जमाना था जब स्त्री कभी पिता, पति, भाई,या फिर बेटे पर निर्भर रहती थी। उनके अनुसार की जीवन जीना पडता था। लेकिन धीरे धीरे वक्त बदला हालात बदले और स्त्री आगे बढ़ती चली गई। आज वह अपने बलबूते पर अपना जीवनोपार्जन कर सकती है।

महिला सषक्तिकरण सिर्फ ष्षहरी कामकाजी महिलाओं तक की सीमित नहीं है। बल्कि दूर–दराज के कस्बो एवं गांवों में भी महिलाएं अपनी आवाज बुलंद कर रही हैं। वे पढ़ी लिखी हों या न हों अब किसी भी मायने में अपने पुरूष समकक्षों से पीछे नहीं रहना चाहती। अपनी सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि कर परवाह किये बिनाा वे अपने सामाजिक एवं राजनीतिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिये प्रयत्नषील है और साथ ही अपनी उपस्थिति भी महसूस करा रही हैं।

हालांकि यह भी सच है कि ज्यादातर महिलाओं को अब समाज में बड़े भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन दुर्भाग्यवष अभी भी उनमें से कइयों को विभिन्न प्रकार के भावनात्मक, ष्षारीरिक, मानसिक और यौन उत्पीड़नों से दो चार होना पड रहा है। ओर वे अक्सर बलात्कार, षोषण ओर अन्य प्रकार के ष्षारीरिक और बौद्धिक हिंसा का षिकार हो जाती है।

सही मायनों में महिला सषक्तीकरण तभी हो सकता है। जब समाज में महिलाओं के प्रति सोच में परिवर्तन लाया जा सके और उनके साथ उचित सम्मान,गरिमा निष्पक्षता ओर समानता का व्यवहार किया जाये। देष में ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में आज भीी सामंती ओर मध्ययुगीय दृष्टिकोण का वर्चस्व है, और वहां महिलाओं को उनकी षिक्षा, विवाह ड्रेस कोड व्यवसाय एंव समाजिक संबंधों इत्यादि में समानता का दर्जा नहीं दिया जाता है। हमें उम्मीद करना चाहिए कि जल्दी ही महिलाओं के सषक्तीकरण का प्रयास हमारे विषाल देष में प्रगतिषील एवं पिछड़े क्षेत्रों में भी किया जाएगां

महिला सषक्तिकरण के लाभ–

महिलाओं को एक सार्थक एवं उद्देश्य जीवन जीने का आत्म विश्वास दिलाने से ही सही मायने में महिला सषक्तिकरण कहते है। यह दूसरों पर उनकी निर्भरता समाप्त करते हुये उन्हें अपने आप में सबल बनाने का प्रयास है।

- .महिला सषक्तिकरण महिलाओं को गरिमा ओर स्वतंत्रता के साथ अपने जीवन का नेतृत्व करने में सक्षम बनाना है।
- .यह उनका आत्मसम्मान बढ़ाता है।
- .ये समाज में सम्मानित पदों को प्राप्त करने में काामयाब होती हैं।
- .ये वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर होती है और इस वजह से अपनी इच्छाओं एवं आवश्यकताओं के अनुसार खर्च कर पाती हैं।
- .वे देष के संसाधानों में उचित एवं न्यायसंगत हिस्सा प्राप्त करने में कामयाब होती है।

.महिला सषक्तिकरण के साधन–

शिक्षा– उचित और पर्याप्त षिक्षा के बिना महिलाओं को सषक्त व्यक्तियों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। उन्हें उच्च षिक्षा प्राप्त करने केलिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

नेहरू ने कहा है कि– ''एक बालक को षिक्षित करने का मतलब है एक व्यक्ति को षिक्षित करना जबकि एक बालिका को षिक्षित करना मतलब पूरे परिवार को षिक्षित करना है। दरअसल एक बालिका की समुचित षिक्षा–दीक्षा तो एक दीपक के उजाले के समान है। यह दीपक प्रकाष तो प्रदान करता है साथ इसकी लौ से अनवरत नए–नए दीपक भी जलते हैं।''

वास्तव में महिलाएं ही पूरे परिवार को षिक्षित करके राष्ट्र के योग्य व सषक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

सामाजिक एवं अर्थिक विकास में सषक्तिकरण–

महिला सषक्तिकरण को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जिसके द्वारा समाज में वित्तीय, मानवीय एवं बौद्धिक संसाधनों पर महिलाओं के सषक्तिकरण को समाजिक आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में उसकी भागीदारी के पैमानों को मापा जा सकता है। जब महिलाओं का अपना महत्व उनका अपने जीवन को नियंत्रित करने का अधिकार एवं उनकी समाज में बदलाब आने की क्षमता से संबंधित सभी उद्देष्य पूरे हो रहे हों।

संचार कौषिक– प्रभावी संचार कौषल में विकास के बिनाा महिलाएं अपनी अक्ल बुलंद नहीं कर सकती। सफल होने के लिये अपना प्रभावी ढंग से संवाद कर पाना उनके लिये जरूरी हैं एक परिवार, टीम या कंपनी को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए नेताओं के रूप में उन्हें लोगों को बात समझाने की आवश्यकता है।

महिला सषक्तिकरण की जमीनी हकीकत–

हालांकि महिलाएं दुनियां की आबादी के कुछ प्रतिषत का लगभग आधा हिस्सा हैं लेकिन फिर भी दुनियां भर के अधिकांष विकासषील देषों में वे अपने अधिकारों से वंचित है। खास तौर पर उत्तरी एवं पूर्वी एषियाई तथा अफ्रीका देषों में महिलाएं प्रचनित भेदभाव की वजह से अभावग्रस्त जीवन जीने को मजबूर है।

ग्रामीण एवं शहरी विभाजन– ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति ष्षहरी क्षेत्रों मे रहने वाली महिलाओं की तुलना में ज्यादा दयनीय है। यह सर्वविदित है कि महिलाएं पुरूषों के समकक्ष समान अधिकार से वंचित हैं और विकास के लिये महत्वपूर्ण संसाधनों के उत्पादन में भी उनका योगदान एवं भागीदारी कम होने की वजह से शक्तिहीन बने रहने को मजबूर है। इसलिए यदि हमें महिला सषक्तिकरण के लक्ष्य को समग्रता से प्राप्त करना है। तो महिलाओं को पुरूषो के साथ सक्रिय भागीदार बनाना होगा। किसी भी समाज को आधुनिकीकरण के प्रयासों को सफल बनाने के लिए महिलाओं को विकास की मुख्य धारा में षामिल करना जरूरी है। खासकर हमें ग्रामीण समाज में पुरूषों के प्रति पक्षपाती हुए बिना महिलाओं एवं पुरूषों को समान अवसर उपलब्ध कराना होगा।

अगर उन्हें जीवन में समाजिक, आर्थिक अेर राजनीतिक सभी क्षेत्रों में समान अवसर प्रदान किए जाए तो महिलाओं को सार्वजनिक रूप से सक्रिय जीवन व्यतीत करने की स्वतंत्रता प्राप्त होगी। और इसमें समाज में अनुकूल वातावरण बनाने की जरूरत है। ताकि महिलाएं अपने विचारों को स्पष्ट करने में सक्षम हो सके एवं अपपने कार्यक्षेत्र में भी अधिक उत्पाादक बन सके।

खेलों के असाधारण प्रदर्षन– विभिन्न अन्तराष्ट्रीय मंचों पर महिलाओं ने सुलतापूर्वक यह साबित कर दिया है कि यदि उन्हें मौका दिया जाये तो वे अपने पुरूष समकक्षों की तुलना में किसी भी मायने में कम नहीं है। यह बात साबित हो चुकी हैं साक्षी मलिक, बीबी सिंधु, या दीपा कर्माकर, को नहीं भुला सकता जिन्होनें कदम–2 पर लैंगिक बाधाओं को सफलतापूर्वक तोड़ते हुये पूरी दुनियां के सामने भारत के राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान बढ़ाया जाये। इस तथ्य से कोइ इंकार नहीं कर सकता कि भारत जैसे पुरूषों वाले देष में इन महिलाओं के लिए विभिन्न बाधाओं का सामना करते हुये दुनियां भर में अपना नाम कमाना एवं ऐसे उच्च स्थानों तक पहुंचकर ख्याति अर्जित करना कितना मुष्किलों से भरा सफर रहा होगा।

परिवर्तन की ओर– महिलाओं को हर धर्म में एक विषेष दर्जा दिया है उसके बावजूद सदियों से समाज में महिलाओं के खिलाफकई बुरी प्रथाए प्रारन में रही है। लेकिन अब सकारात्मक परिवर्तन दृष्टिगोचर होना प्रारंभ हो चुका हैं महिलाएं अब खुद के लिये सामाजिक एवं राजनीतिक अधिकारों जैसे कि काम करने का अधिकार, षिक्षा का अधिकार, निर्णय करने का अधिकार भी लागू किए है। ताकि महिलाएं एक सार्थक एवं उद्देष्यपूर्ण जीवन जी सकें।

भारत की संसद ने भी महिलाओं को विचित्र प्रकार के अन्यायों एवं भेदभाव से बचाने के लिए कई कानून पारित किये हैं महिलाओं को सषक्त बनाने के लिये पारित इन कानूनों में कुछ इस प्रकार है.....समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, दहेज प्रतिरोधक अधिनियम 1961, अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956, चिकित्सकीय गर्भ समापन कानून 1971, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, सती निवारण आयोग अधिनियम 1987, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व पिदान तकनीक (अधिनियम और दुरूपयोगकी रोकथाम) अधिनियम 1994 एवं कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकधाम निषेध और निवारण) अधिनियम 2013, किषोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) विधेयक 2015 पारित किया है। यह अधिनियम पुराने किषोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) विधेयक 2000 में परिवर्तन करके बनाया गया हैं जिसके अन्तर्गत अब अपराध के लिये क्षमा किए जाने के लिए निर्धारित किषोर की उम्र 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष कर दी गई है।

नारी श्रद्धा है सेवा है, नारी अमृत की प्याली है।

नारी लेकिन ज्वाला भी है, वह परम कराली काली है।।

निष्कर्ष–

यदि हम सही अर्थों में महिला सशक्तिकरण करना चाहते है तो पुरूष श्रेष्ठता और पितृसन्तात्मक मानसिकता का उन्मुलन किया जाना बेहद जरूरी हैं इसके लिये बिना किसी भेदभाव के षिक्षा एवं रोजगार के क्षेत्रों में महिलाओं को समान अवसर प्रदान किए जाने की आवश्यकता है। दुनियां भर में समकालीन समाजों में सामाजिक एवं आर्थिक विकास के मोर्चा पर परिवर्तन की प्रमुख प्रक्रियाएं चल रही है। हालांकि इन प्रक्रियाओं को संतुलित तरीके से लागू नहीं किया जा सका हैं और इस वजह से महिलाएं सबसे ज्यादा पीडित है। इसलिए हमें एक पूरी तरह से बदले हुए समाज की आवश्यकता हैं। जिसमें महिलाओं के विकास में समान अवसर प्रदान किये जा सके।

महिला सषक्तिकरण द्वारा समाज और दुनियां को रहने के लिये एक बेहतर जगह बनाने में मदद मिलती है। और साथ ही यह समावेषी भागीदारी के रास्ते पर आगे चलने में सहायता करता है। हालिया षोध से पता चलता है कि आर्थिक विकास, गरीबी और बदले अवसरों को काम करके, वास्तव में लैंगिक समानतास पर एक महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता हैं

.इस बात का सबूत है कि घर में और कई डोमेन में भेदभाव पर काबू पाने के लिये विकास पर्याप्त नहीं होगां लिंग अनुपात लड़कों के पक्ष में तिरछे रहते हैं।

. महिलाओं को बढ़ावा देने के लिये सक्रिय नीतियों का समर्थन करने के लिए दो तर्क संगत हैं पहला यह है कि इक्विटी ख़ुद में और मूल्यवान है। महिलाएं वर्तमान पुरूषों की तुलना में खराब है। और लिंग के बीच की असमानता अपने अधिकार में प्रतिकर्मी है। दूसरा नीति निर्माताओं के प्रवचन में एक केन्द्रीय तर्क यह है कि महिलाओं को विकास में मौलिक भूमिका निभानी है।

.महिला सषक्तिकरण ओर आर्थिक विकास नियंत्रिता से सबंधित हैं यद्यपि विकास स्वयं महिला सषक्तिकरण के बारे में लाखों महिलाओं को सषक्त बनाने के लिये निर्णय लेने में बदलाब आएगा जिसका विकास पर सीधा असर होगा।

. न तो अर्थिक विकास आएगा न ही महिला का सशक्तिकरण जादू बूलेट है जिसे कभी–कभी किया जाता है। पुरूषों और महिलाओं के बीच इक्विटी लाने के लिये पुरूषों की कीमतों पर महिलाओं के पक्ष में होने वाली नीतिगत कार्रवाइयों को जारी रखना आवष्यक होगा और बहुत लंबे समय तक ऐसा करने के लिए आवष्यक हो सकता है।

संदर्भ सूची–

डफलो ई(2012) महिला सषक्तिकरण और अर्थिक विकास।

मल्होत्रा अंजू सिडनी रूथ शेड्यूलर और कैरोल की अण्डर(2002) महिला के समन्तीकरण को एक चर के रूप में अंतर्राष्ट्रीय विकास।

भारत सरकार (2011) मानव विकास रिपोर्ट– सामाजिक सममावेष के लिये

सुनीता किषोर और कमला गुप्ता(2009) नैतिक समानता .मल्होत्रा अंजू सिडनी रूथ शेड्यूलर और कैरोल की अण्डर(2002) महिला के समन्तीकरण को एक चर के रूप में अंतर्राष्ट्रीय विकास।

भारत सरकार (2011) मानव विकास रिपोर्ट– सामाजिक सममावेष के लिये सुनीता किषोर और कमला गुप्ता(2009) नैतिक समानता और भारत में महिला सषक्तिकरण।

भारत सरकार(2010) रोजगार श्रम और रोजगार मंत्रालय। केमिडा हैंडी और मीनाय कसम ग्रामीण भारत में महिला सषक्तिकरण।